दिनांक 01.12.2022 को जय सिंह, भा0प्र0से0, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– यथा संधारित।

कार्यवाही :–

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के कर्मियों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। अलग–अलग फोरम पर सामान्य प्रशासन विभाग/भवन निर्माण विभाग आदि अन्य बैठके आयोजित होती हैं एवं निदेशालय द्वारा यदि उसमें भाग लिया जाता है तो किसी भी प्रकार की Pendency न रहे, इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित कया जाय। पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेशों के अनुपालन की स्थिति निम्नवत है:–

क्र0सं0	संबंधित कर्मी/कोषांग		बैठक में दिये गए निदेश	अनुपालन की स्थिति एवं निदेश
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार, प्रभारी विशेष सर्वेक्षण कोषांग	i	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि इससे संबंधित कार्य पूर्ण हो चुका है। इसकी 1000 प्रति की छपाई कर सभी का वितरण सुनिश्चित कर लिया गया है। Flipbook के रूप में वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की सॉफ्टकॉपी को वेबसाइट पर अपलोड कराने का निदेश दिया गया। Address List updated के संबंध में पृच्छा करने पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।
		ii	मार्बल एवं तकनीकी मार्गदर्शिका	संशोधित मार्बल के छपाई के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह में इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। तकनीकी मार्गदर्शिका को गलत तरीके से Interpret कर अनुचित लाभ लेने का बन्दोबस्त कार्यालयों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस में यदि किसी प्रकार की स्पष्टता (Clarification) की आवश्यकता हो तो आदेश निर्गत किया जाए एवं वैसे सभी बिन्दुओं को संशोधित करें ताकि गलत तरीके से तकनीकी मार्गदर्शिका का उपयोग नहीं किया जा सके।
		iii	महत्वपूर्ण पत्रों को संकलित कर पुस्तक के रूप में छपाई हेतु उपलब्ध कराना	कम्पेडियम के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि सभी महत्वपूर्ण पत्रों आदि का संकलन कर लिया गया है एवं माह – दिसम्बर के अन्त में इसकी अद्यतन प्रति की छपाई कर ली जाएगी। इस संबंध में निदेश दिया गया कि कम्पेडियम को निदेशालय के वेबसाइट पर Flipbook के रूप में अपलोड करना भी सुनिश्चित करें।
		iv	निदेशालय स्तर पर संचालित सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर मैनुअलों का संकलन	निदेशालय स्तर पर संचालित सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर मैनुअलों के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि इसे तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि इसे Digitally Bind कर निदेशालय के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाय।

	श्री वीरेन्द्र कुमार, प्रभारी विशेष सर्वेक्षण कोषांग	v	प्रशिक्षण से संबंधित विपत्रों का GoI राशि से समायोजन से संबंधित प्रस्ताव	निदेशक द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित विपत्रों का भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली राशि से समायोजन संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निदेश लगभग एक वर्ष से आयोजित बैठकों में दिये जाने के बावजूद लम्बित रहने के संबंध में खेद व्यक्त किया गया। इस संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि विपत्र पर उक्त हेतु की जानेवाली कार्रवाई श्री संतोष कुमार, लेखापाल के स्तर से लम्बित है। उक्त लापरवाही के लिए श्री संतोष कुमार, लेखापाल के 15 दिनों के मानदेय की कटौती का निदेश दिया गया। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर अगली बैठक के पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
2.	श्री राकेश कुमार, सहायक	i	मासिक विपत्र यथा – विद्युत, दूरभाष इत्यादि का भुगतान	पृच्छा करने पर बताया गया कि मासिक विपत्रों का भुगतान ससमय किया जा रहा है। लम्बित विद्युत विपत्र के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि 4.50 लाख रूपये का भुगतान कर दिया गया है। शेष विद्युत विपत्र एवं होल्डिंग टैक्स की राशि का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर माह–दिसम्बर, 2022 तक कर दिया जाएगा।
		ii	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया को कार्यकारी बनाने हेतु सेल का गठन किया जाना है। इस से संबंधित सामग्रियों को क्रय करने हेतु GEM द्वारा BID के माध्यम से क्रय करने का निदेश दिया गया। इस हेतु आई0टी0 सेल को आवश्यक Specification शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। BID को दिनांक 11.12.2022 की तिथि को प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।
		iii	सभी लम्बित आवंटन	लम्बित आवंटन के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि जिलों से व्यय विवरणी मंगाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी लम्बित आवंटन का निष्पादन अगली बैठक के पूर्व करने का निदेश दिया गया।
		iv	सभी लम्बित भुगतान	सभी प्रकार के लम्बित विपत्रों का भुगतान वित्त विभाग द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में बगैर विलम्ब के करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

[illegible]	श्री बब्लु कुमार, सहायक	i	बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट	अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यकारिणी कमिटी की बैठक कराने हेतु प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। उक्त के साथ–साथ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा लेने एवं अन्य लम्बित विषयों की एजेण्डा भी तैयार करने का निदेश दिया गया।
		ii	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन	दिनांक 13.09.2022 एवं उसके पूर्व के बैठकों में निदेश दिया गया था कि यदि किसी संस्थान द्वारा सत्यापन संबंधी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो प्रत्येक 6 दिनों पर स्मार देना सुनिश्चित किया जाय एवं बिहार राज्य में स्थित किसी संस्थान से प्रमाण पत्र सत्यापन संबंधी विवरणी प्राप्त नहीं हो रही हो तो उस जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारियों/स०ब०प० को उनके जिला स्थित संस्थान से सम्पर्क कर व्यक्तिगत रूप से सत्यापन संबंधी कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का अनुरोध संबंधित से किया जाय। समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि इस संबंध में अभी तक कोई पत्र निर्गत नहीं किया गया है। उक्तालोक में निदेश दिया गया कि दिनांक 13.09.2022 से दिनांक 01.12.2022 तक प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु भेजे गए पत्रों की विवरणी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निदेश का अनुपालन यदि नहीं किया गया है तो संबंधित कर्मी से स्पष्टीकरण पूछकर उपलब्ध कराने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया। EXCEl सॉफ्टवेयर में Individual संविदा कर्मी की विवरणी संधारित करने एवं उक्त कर्मी के प्रमाण–पत्र को सत्यापन हेतु भेजे गए पत्रों की विवरणी भी तिथिवार अंकित करने का पुनः निदेश दिया गया। फर्जी पाये गए अभ्यर्थियों के संबंध में यदि कोई जानकारी प्राप्त होती है अथवा पत्र द्वारा जानकारी प्राप्त होती है तो बिना किसी लापरवाही के तत्काल प्रभाव से संचिका उपस्थापित कर ऐसे कर्मियों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। **बैठक में उपलब्ध करायी गयी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की पदवार अद्यतन विवरणी :–**
		iii	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	
		iv	विशेष सर्वेक्षण अमीन (अमानत) के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	
4.	श्री दीपक कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक	i	विशेष सर्वेक्षण अमीन के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	
		ii	विशेष सर्वेक्षण लिपिक के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	

Post		Verification		Fake		Pending		Reminder to be sent
01	विशेष सर्वेक्षण अमीन	Sent	3457	Terminate	253	Fee Demand	45	1159
		Reply Received	2298	In Process	32	Others	NIL	
		Verification OK	1968	Total	285	Total	45	

		Post		Verification		Fake		Pending		Reminder to be sent
		02	विशेष सर्वेक्षण लिपिक	Sent	364	Terminate	7	Fee Demand	21	107
				Reply Received	257	In Process	NIL	Others	NIL	
				Verification OK	229	**Total**	**7**	**Total**	**21**	
		03	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	Sent	221	Terminate	1	Fee Demand	32	66
				Reply Received	155	In Process	NIL	College Court Matter	1	
				Verification OK	121	**Total**	**1**	**Total**	**33**	
		04	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो	Sent	340	Terminate	11	Fee Demand	32	23
				Reply Received	317	In Process	–	Others	NIL	
				Verification OK	274	**Total**	**11**	**Total**	**32**	
		05	अमीन (अमानत)	Sent	487	Terminate	11	Fee Demand	NIL	20
				Reply Received	467	In Process	2	Original Document Demand	01	
				Verification OK	453	**Total**	**13**	**Total**	**01**	
5.	प्रशाखा पदाधिकारी	i.	प्रमाण–पत्रों के सत्यापन हेतु राशि की मांग से संबंधित मामले का निपटारा	इस संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु हेड खोलने की कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि इसमें अनावश्यक विलम्ब नहीं करते हुए, प्राथमिकता के आधार पर, व्यक्तिगत रूचि लेते हुए, इस कार्य का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।						

<table>
<tr>
<td>प्रशाखा पदाधिकारी</td>
<td>ii</td>
<td>e-Office से संबंधित</td>
<td>
यह देखा जा रहा है कि e-Office के माध्यम से कम संख्या में संचिकाओं का उपस्थापन किया जा रहा है। न्यायालय/सूचना का अधिकार/कोर्ट केस/टेन्डर आदि को छोड़कर अन्य कोई भी संचिका भौतिक रूप से उपस्थापित नहीं की जाएगी। उक्त के इतर सभी संचिकाएँ e-Office के माध्यम से ही उपस्थापित करने का निदेश दिया। विगत सप्ताह e-Office के माध्यम से उपस्थापित संचिकाओं के संबंध में संबंधित सहायक/लिपिक द्वारा निम्न जानकारी उपलब्ध करायी गयी जो निम्नवत है:–
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>नाम</th><th>e-Office के माध्यम से उपस्थापित संचिकाओं की कूल संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>श्री शशि रंजन प्रसाद</td><td>06</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्री राकेश कुमार</td><td>02</td></tr>
<tr><td>3</td><td>श्री बब्लु कुमार, सहायक</td><td>06</td></tr>
<tr><td>4</td><td>श्री विजय सम्राज्य</td><td>00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>श्री मुन्ना कुमार चौधरी</td><td>00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>श्री सुमन जी कपूर, नि0व0लि0</td><td>00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>श्री दीपक कुमार, नि0व0लि0</td><td>02</td></tr>
<tr><td>8</td><td>श्री संतोष कुमार, लेखापाल</td><td>अनुपस्थित</td></tr>
</table>
सहायक निदेशक एवं प्रशाखा पदा0 भी साप्ताहिक बैठक में E-Office के माध्यम से कर्मियों द्वारा उपस्थापित संचिकाओं के संबंध में समेकित जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में E-Office में SMS Alert की सुविधा को भी activate कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उक्त के अतिरिक्त यह भी निदेशित किया गया कि कार्यालय आते ही E-Office में रजिस्टर्ड कर्मी 10:00 बजे पूर्वाह्न से नियमित अंतराल पर E-Office में निश्चित रूप से लौगिन कर पत्र/संचिका का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>iii</td>
<td>आरोप से संबंधित</td>
<td>(क) आरोप से संबंधित कुल संचिकाओं की विवरणी एवं लम्बित/निष्पादित आरोपों की विवरणी अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। अनुशासनिक मामलों के निष्पादन में तीव्रता लाने का निदेश दिया गया।</td>
</tr>
</table>

प्रशाखा पदाधिकारी			(ख) विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के विरूद्ध संबंधित जिलों से प्राप्त पत्रों के आलोक में कार्रवाई बन्दोबस्त पदाधिकारियों की बैठक के पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
			(ग) बैठक में पृच्छा के दौरान बताया गया कि जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने में विलम्ब होने के कारण अनुशासनिक कार्रवाई के निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब होता है। इस संबंध में स्पष्ट निदेश दिया गया कि यदि एक सप्ताह से अधिक जांच प्रतिवेदन लम्बित रहता है तो उनके विरूद्ध भी कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया। संचालन पदाधिकारी के स्तर से यदि जांच प्रतिवेदन देने में विलम्ब होता है तो इसके लिए संचालन पदाधिकारी को स्मारित करने का निदेश दिया गया।
			(घ) समीक्षात्मक बैठक में निदेशालय में कार्यरत सभी कर्मियों का निजी संचिकाएँ, संबंधित कर्मियों से पुछे गए स्पष्टीकरण से संबंधित पत्रों को निजी संचिका में संधारित करते हुए अवलोकनार्थ दिनांक 02.12.2022 को उपस्थापित करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया।
	iv	लॉगबुक जांच	इस संबंध में प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि साप्ताहिक रूप से सहायकों/लिपिकों के लॉगबुक की जांच की जाय एवं प्रतिवेदन समर्पित किया जाए।
	v	रोस्टर से संबंधित	निदेशालय के स्थायी पदों का रोस्टर माह जनवरी, 2023 तक तैयार करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया। प्रशाखा पदाधिकारी अपनी देख–रेख में उक्त कार्य का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।
	vi	हेल्पलाईन	इस संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि अगली बैठक के पूर्व निश्चित रूप से हेल्पलाईन के संचालन हेतु Outsource का प्रस्ताव उपस्थापित कर दिया जाएगा।
	vii	तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के वर्त्तमान पदस्थापन के अनुसार अद्यतन करना	इस संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित सहायक द्वारा बताया गया कि सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण बेगूसराय एवं अन्य जिलों के कर्मियों कों R2R में अद्यतन नहीं किया जा सका है। इस संबंध में संबंधित प्रोग्रामर को निदेश दिया गया कि वे R2R सॉफ्टवेयर में ऐसा प्रावधान करें जिससें जन्म तिथि के आधार पर 60 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के नियमानुसार सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् R2R में उक्त कर्मी स्वतः Disable हो जाय। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के वर्त्तमान पदस्थापन के अनुसार R2R में अद्यतन करने का निदेश दिया गया।

	प्रशाखा पदाधिकारी	viii	विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के संबंध में।	(क) विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी के Travel Allowance एवं मानदेय बढ़ोत्तरी के संबंध में पृच्छा करने पर प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस हेतु कमिटी गठित कर दी गयी है। निदेश दिया गया कि सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यो की प्रकृति एवं प्रतिदिन किये जाने वाले भ्रमण का उल्लेख करते हुए Proposal अगली बैठक में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया, ताकि आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित कमिटी को प्रस्ताव भेजा जा सके। (ख) मातृत्व अवकाश एवं अर्जित अवकाश के लम्बित मामलों के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि इस संबंध में बन्दोबस्त कार्यालय को पत्र भेजा दिया गया है जिससे संबंधित कर्मियों के उपभोग/बकाया अवकाश के संबंध में जानकारी प्राप्त कर मामले को निष्पादित किया जा सकेगा।
		ix	ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० से संबंधित	इस संबंध में निदेश दिया गया कि ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० की बैठक की तिथि दिनांक 15.12.2022 को निर्धारित करते हुए बन्दोबस्त कार्यालयों / बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को पत्र देना सुनिश्चित किया जाय जिसमें यह उल्लेख हो कि ए०सी०पी० / एम०ए०सी०पी० से संबंधित प्रस्ताव निर्धारित तिथि से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित तिथि तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि उनके स्तर पर किसी कर्मी का कोई मामला लम्बित नहीं है और भविष्य में यदि कोई मामला निदेशालय के संज्ञान में आता है तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
6.	सहायक निदेशक	i	बन्दोबस्त कार्यालयों के समीक्षा हेतु ऑनलाईन प्रपत्र	यह कार्य भी बहुत दिनों से लम्बित है। इस संबंध में सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि पूर्व में तैयार किये गए ऑनलाईन प्रपत्रों की हार्ड कॉपी प्राप्त कर उसमें आवश्यक संशोधन करते हुए संचिका में उपस्थापित किया जाय।
7.	श्री अशोक कुमार शर्मा, स०ब०पदा०	i	न्यायालय से संबंधित।	(क) पृच्छा करने पर बताया गया कि CWJC, MJC, से संबंधित कोई मामला लम्बित नहीं है। एक SLP दायर किया जाना लम्बित है जिसपर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र ही इस कार्य को निष्पादित कर दिया जाएगा।
8.	श्री विजय सम्राज्य, सहायक (बि०प्रो०मै०यू०)	i	LGD Code से संबंधित	इस संबंध में पृच्छा करने बताया गया कि 06 जिलों से LGD Code प्राप्त हो चुका है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि LGD Code के संबंध में जिलों एवं पंचायत राज विभाग को लम्बित मामलों के संबंध में पत्र देना सुनिश्चित किया जाय।
		ii	Geo-refrencing से संबंधित	पुराने मानचित्रों को Geo refrence बनाने हेतु विशेष सर्वेक्षण कार्य में संलग्न एजेंसियों एवं अन्य संबंधित के साथ बैठक हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

	श्री विजय सम्राज्य, सहायक (बि०प्रो०मै०यू०)		GIS Setup से संबंधित	पूर्व की बैठक में निदेश के बावजूद मामला लम्बित है। State Head Quarter एवं District Head Quarter Core GIS हेतु प्रस्ताव संचिका में शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
		v	भारत सरकार से संबंधित।	भारत सरकार के स्तर पर लम्बित मामलें (Pending Issues) के संबंध में भी स्मार देने का निदेश दिया गया।
9.	श्री संतोष कुमार, लेखापाल (बि०प्रो०मै०यू०)	i	टैली सॉफ्टवेयर से संबंधित	बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लेखापाल द्वारा टैली सॉफ्टवेयर में किये गए प्रविष्टि से संबंधित की जा रही कार्रवाई को अगली बैठक में प्रदर्शित करने का निदेश दिया गया। पुनः प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे लेखापाल के टैली सॉफ्टवेयर में किये जा रहे कार्यों का अवलोकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
10.	श्री सुमन जी कपूर, नि०व०लि०	i	बेल्ट्रॉन से संबंधित	बेल्ट्रॉन में लम्बित मामलों (Pending Issues) के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
11.	श्री मो० अली, प्रभारी, आई०टी० कोषांग	i	लाईब्रेरी का संचालन	पृच्छा करने पर ज्ञात हुआ की पुस्तकों पर ISBN अंकित एवं Barcode Generate करने से संबंधित कार्य अभी भी लम्बित है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि दिनांक 11.12.2022 तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाय।
		ii	आई०टी० से संबंधित।	बैठक में निम्न अंकित लम्बित कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया:– (क) अंचल अभिलेख भवन पोर्टल को डिजीलॉकर से जोड़ने का कार्य, (ख) ऑनलाइन सेवाओं के APIs को API Setu पर प्रकाशित करने कर कार्य, (ग) ऑनलाइन सेवाओं को UMANG से इंटीग्रेट करना
12.	श्री राजेश कुमार सिंह स०ब०प०	i	विज्ञापन से संबंधित।	निदेशालय के वेबसाइट पर विशेष सर्वेक्षण से संबंधित जनशिकायत पोर्टल में जनशिकायत प्राप्त करने से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित कराने का निदेश दिया गया।

अन्यान्य	(a)	अंचल अभिलेख भवनों से सम्बन्धित सेवाओं के लिए सोसाइटी का गठन	पुनः सभी प्रकार के ऑनलाईन सेवाओं के संचालन एवं रख–रखाव जिस प्रकार मद्द निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा गठित सोसायटी के आधार पर किया जाता है उसी के आधार पर सोसाइटी गठन का प्रस्ताव उपस्थापित करने हेतु निदेश दिया गया।
	(b)	Common Service Centre (CSC) से संबंधित।	बैठक में पृच्छा करने पर ज्ञात हुआ कि यह कार्य अभी भी लम्बित हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए शीघ्र संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
	(c)	प्रशिक्षण से संबंधित	समीक्षात्मक बैठक में निदेश दिया गया कि निदेशालय में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी बगैर अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के किसी भी प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे। चूँकि प्रशिक्षण कार्य में संलग्न रहने के कारण निदेशालय का महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होता है।

2. बैठक में दिये गए निदेश का यदि Compliance नहीं हुआ है तो संबंधित पदा0/कर्मी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण अगली बैठक से पूर्व निश्चित रूप से उपस्थापित करेंगे।

3. उक्त के अतिरिक्त पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेश जिसका अनुपालन नहीं किया जा सका है, को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश एवं सभी कर्मियों को अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

4. आगामी बैठक दिनांक 01.12.2022 को निर्गत कार्य आवंटन के आधार पर किया जाएगा।

5. यदि कार्यवाही में अंकित कोई लम्बित कार्य किसी कर्मी विशेष से सम्बद्ध नहीं दर्शाया गया है तो सहायक निदेशक अपने स्तर से उक्त कार्य को यथाउचित सम्बन्धित कर्मी से टैग कर लिखित रूप से सूचित कर देंगे तथा उक्त कर्मी अगली बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन देंगे।

(जय सिंह) 1/12/22
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 202/गो0 पटना, दिनांक 02-12-2022

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित कर्मी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 2/12/22

ज्ञापांक :– 202/गो0 पटना, दिनांक 02-12-2022

प्रतिलिपि :– प्रभारी, आई0टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक 2/12/22